



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1605 दि. 01-02-17

आदेश

विषय : मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना।

ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में खेतों एवं अविद्युतीकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु लागू "मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना" के संदर्भ में निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक: जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.) /अ.अ.(आर.ए.-सी.) / फा / प्रे. 846 दि. 16.09.2016 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-729) की निरन्तरता में उपभोक्ताओं में संशय दूर करने हेतु उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 5 के संदर्भ में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पोल पर स्थापित मीटर से सर्विस लाइन यदि उपभोक्ता चाहे तो स्वयं के आवास तक एल.टी. अण्डरग्राउण्ड आर्मड केबल द्वारा अथवा ओवरहेड केबल/एबी केबल द्वारा ले जा सकता है जिसकी अधिकतम दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होगी।

आदेश क्रमांक: 846 दि. 16.09.2016 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-729) की शेष सभी नियम व शर्तें यथावत् रहेगी।

आज्ञा से

(यू.एस. चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर ए एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियन्ता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।



अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर